



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 2] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 1, 1976/पौष 11, 1897
No. 2] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 1, 1976/PAUSA 11, 1897

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Official Language)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st January 1976

G.S.R. 2(E).—In exercise of the powers conferred by Section 8, read with sub-section (2) of Section 5, of the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Official Languages (Manner of Authorisation of Hindi Translation of Bills) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the 1st day of January, 1976.

2. Manner of authorisation of Hindi translation of Bills to be introduced in Parliament and amendments thereto.—A translation in Hindi of the authoritative text in the English language of all Bills to be introduced, or amendments thereto to be moved, in either House of Parliament shall be authorised in the following manner, namely:—

- (a) in the case of a Government Bill or any amendment to a Bill moved by Government, by the concerned Minister, by affixing his signature on a copy of such translation;
- (b) in the case of a Private Member's Bill or any amendment moved by a Private Member, by an Officer duly authorised by the Secretariat of the Rajya Sabha or the Lok Sabha, as the case may be, by affixing his signature on a copy of such translation.

[No. 11011/2/72-OL(AD).]

B. D. SHARMA, Jt. Secy.

गृह मंत्रालय
(राजभाषा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 1976

सा० का० नि० 2 (अ).—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—

- (1) इन प्रत्ययों का संक्षिप्त नाम राजभाषा (विधेयकों के हिन्दी अनुवाद के प्राधिकरण की रीति) नियम, 1976 है ।
- (2) ये 1976 के जनवरी के पहले दिन प्रवृत्त होंगे ।

2. संसद् में पुरःस्थापित किए जाने वाले विधेयकों और उनके संशोधनों के हिन्दी अनुवाद के प्राधिकरण की रीति—

उन सब विधेयकों के, जो संसद् के किसी भी सदन में पुरःस्थापित किए जाने हों और उन सब संशोधनों के, जो उनके सम्बन्ध में संसद् के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जाने हों अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ का हिन्दी में अनुवाद,—

- (क) सरकारी विधेयक या किसी विधेयक के सम्बन्ध में सरकार द्वारा प्रस्तावित किसी संशोधन की दशा में, सम्बन्धित मंत्री द्वारा,
- (ख) प्राइवेट सदस्य के विधेयक या प्राइवेट सदस्य द्वारा प्रस्तावित किसी संशोधन की दशा में, यथास्थिति, राज्य सभा या लोक सभा के सचिवालय के साम्यरूप से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, ऐसे अनुवाद की प्रति पर हस्ताक्षर करके, प्राधिकृत किया जाएगा ।

[मं० 11011/2/72-रा०भा० (क-1)]

ब्रह्मा देव शर्मा, संयुक्त सचिव ।